

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 38/2024

दायर दिनांक 26.02.2024

वादी

प्रतिवादीगण

1. पंकज पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट निवासी नौरंगपुरा, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

1. कैलाशचन्द पुत्र रेवन्ताराम
2. गोपालराम पुत्र मोहनाराम
3. जगदीश पुत्र मोहनाराम
4. जिमना पुत्री मोहनाराम
5. टोडाराम पुत्र कुशलाराम
6. धापूदेवी पत्नी रेवन्ताराम
7. रामनिवास पुत्र गोमाराम
8. लीला पुत्री रेवन्ताराम
9. सन्तोष पुत्री मोहनाराम
10. सुमन पुत्री रेवन्ताराम
11. हरिराम पुत्र मोहनाराम
12. हीराराम पुत्र बुधरमल समस्त जाति जाट निवासीगण नौरंगपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
13. तहसीलदार डीडवाना
14. तहसीलदार लाडनूं।

बनाम्

दावा बांबत्

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

1. श्री विकास शर्मा वकील वादी।
2. श्री पंकज शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 30.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके पैतृक खातेदारी तथा कब्जाकाश्त की भूमि राजस्व ग्राम गौरंगपुरा, खारड़िया तथा सांवरद के कांकड़ में स्थित है। राजस्व ग्राम नौरंगपुरा के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के नया खाता सं0 17 में दर्ज खसरा सं0 127 रकबा 0.0200 हैक्टे0, गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 128 रकबा 2.4400 हैक्टे0, खसरा सं0 240 रकबा 0.2700 हैक्टे0, खसरा सं0 278 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गै0मु0 टांका, खसरा सं0 302 रकबा 0.2800 हैक्टे0, खसरा सं0 315 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 316 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 317 रकबा 0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 340 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 341 रकबा 4.8000 हैक्टे0 कुल रकबा 8.3200 हैक्टे0 भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। इसी प्रकार से ग्राम खारड़िया के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के नया खाता सं0 157 में दर्ज खसरा सं0 51 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 52 रकबा 5.9700 हैक्टे0 कुल रकबा 5.9900 हैक्टे0 भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 01,06,07,08,10 के नाम से अंकित है। राजस्व ग्राम सांवरद के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के नया खाता सं0 55 में दर्ज खसरा सं0 410/135 रकबा 8.0937 हैक्टे0 भूमि प्रतिवादीगण सं0 02,03,04,09,11 व 12 के नाम से अंकित है।

राजस्व ग्राम सांवरद में प्रतिवादी गोपाल, जगदीश, जिमना, सन्तोष, हरिराम की वल्लियत में नाम मुन्नाराम अंकित है जो सही है जबकि नौरंगपुरा की सरहद में मोहनाराम अंकित है, जो गलत है पक्षकारान के पहचान के दस्तावेजात में नाम मुन्नाराम है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से राजस्व ग्राम खारड़िया के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कैलाश, धापूदेवी, सुमन तथा वादी पंकज की वल्लियत खेताराम नाम से लिखी गई है जबकि इनका सही नाम रेवन्ताराम है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

1. खसरा नम्बर 127 रकबा 0.0200 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा (गै०मु० कुण्ड) प्रतिवादीगण गोपालराम, जगदीश व हरिराम के संयुक्त स्वामित्व में रखा जावें।
2. खसरा सं० 128 रकबा 2.4400 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि गोपालराम, जगदीश, हरिराम के स्वामित्व में रखी जावें, जिसमें पूर्व की तरफ की 0.9870 हैक्टे० भूमि हरिराम के हिस्से में, बीच में 0.7362 हैक्टे० भूमि गोपालराम के हिस्से में तथा पश्चिम की ओर की 0.7362 हैक्टे० भूमि जगदीश के हिस्से में रखी जावें।
3. खसरा सं० 240 रकबा 0.2700 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी टोडाराम के हिस्से में रखी जावें।
4. खसरा सं० 278 रकबा 0.0400 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा (गै०मु० कुण्ड) की भूमि का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी हरिराम, गोपालराम जगदीश व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कैलाशचन्द्र, धापूदेवी व वादी पंकज के हिस्से में तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी रामनिवास के हिस्से में एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी टोडाराम के स्वामित्व में रखा जावें।
5. खसरा सं० 302 रकबा 0.2800 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी टोडाराम के हिस्से में रखी जावें।
6. खसरा सं० 315 रकबा 0.0200 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा प्रतिवादी रामनिवास के हिस्से में रखा जावें।
7. खसरा सं० 316 रकबा 0.0800 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा में उत्तरी की तरफ का 1/2 हिस्सा वादी पंकज, प्रतिवादी कैलाश व धापूदेवी तथा दक्षिण की तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण रामनिवास के हिस्से में रखा जावें।
8. खसरा सं० 317 रकबा 0.3500 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि पश्चिम की ओर 0.1233 हैक्टे० भूमि वादी पंकज, प्रतिवादी कैलाश व धापूदेवी के हिस्से में व बीच की 0.1034 हैक्टे० भूमि हिस्से की प्रतिवादीगण रामनिवास के हिस्से में तथा पूर्व की तरफ 0.1233 हैक्टे० भूमि प्रतिवादी जगदीश, गोपाल, हरिराम के हिस्से में रखी जावें। इनमें जगदीश, गोपाल, हरिराम के हिस्से की 0.1233 हैक्टे० भूमि में से उत्तरी पूर्व के कोने की 1/3 हिस्सा की भूमि जगदीश के हिस्से में, बीच की 1/3 हिस्सा की भूमि गोपालराम के हिस्से में व दक्षिण पूर्व की 1/3 हिस्सा की भूमि हरिराम के हिस्से में रखी गई है।
9. खसरा सं० 340 रकबा 0.0200 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी टोडाराम के हिस्से में रखी जावें।
10. खसरा सं० 341 रकबा 4.8000 हैक्टे० वाकै सरहद नौरंगपुरा की भूमि में से दक्षिण पूर्व के कोने की 0.3236 हैक्टे० वादी पंकज, प्रतिवादी कैलाश व धापू के हिस्से में, इसके चिपती हुई पश्चिम की 0.3236 हैक्टे०, हरिराम के हिस्से में तथा इसके चिपती हुई पश्चिम की 0.3236 हैक्टे० भूमि प्रतिवादी रामनिवास के हिस्से में रखी जावें। शेष रही 3.8292 हैक्टे० भूमि प्रतिवादी टोडाराम के हिस्से में रखी जावें।
11. खसरा सं० 51 रकबा 0.0200 हैक्टे० वाकै सरहद खारड़िया की भूमि प्रतिवादी रामनिवास के हिस्से में रखी जावें।
12. खसरा सं० 52 रकबा 5.9700 हैक्टे० भूमि वाकै सरहद खारड़िया की भूमि में से पूर्व की तरफ की 0.8093 हैक्टे० भूमि प्रतिवादी गोपालराम के, इसके चिपती हुई पश्चिम में 0.8093 हैक्टे०, प्रतिवादी जगदीश के, इसके चिपती हुई पश्चिम में 0.3236 हैक्टे० प्रतिवादी टोडाराम के तथा शेष रही 4.0278 हैक्टे० भूमि प्रतिवादी रामनिवास के हिस्से में रखी जावें।
13. खसरा सं० 410/135 रकबा 8.0937 हैक्टे० भूमि वाकै सरहद सांवरद की दक्षिण की 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी धापूदेवी, कैलाश तथा वादी पंकज के तथा उत्तरी की 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी हीराराम के हिस्से में रखी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 13 व 14 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 12 कि ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा नजरी नक्शा अनुरूप दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया, उपरोक्त वर्णित भूमि में नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद नोरंगपुरा के खेत खसरा सं० 127 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 128 रकबा 2.4400 हैक्टे०, खसरा सं० 240 रकबा 0.2700 हैक्टे०, खसरा सं० 278 रकबा 0.0400 हैक्टे०, खसरा सं० 302 रकबा 0.2800 हैक्टे०, खसरा सं० 315 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 316 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 317 रकबा 0.3500 हैक्टे०, खसरा सं० 340 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 341 रकबा 4.8000 हैक्टे० व वाकै सरहद खारड़िया के खेत खसरा सं० 51 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 52 रकबा 5.9700 हैक्टे० व सरहद सांवरद के खेत खसरा सं० 410/135 रकबा 8.0937 हैक्टे० की भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरी नक्शा मार्क "अ" व नजरी नक्शा मार्क "ब" के अनुसार दावा डिक्री कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार रेकार्ड दुरुस्त हो। नजरी नक्शा मार्क "अ" व "ब" निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

in/ks
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
इजलासा
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

in/ks
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
इजलासा
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,

बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 38/2024

दायर दिनाँक 26.02.2024

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. पंकज पुत्र रेवन्ताराम जाति जाट
निवासी नौरंगपुरा, तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

1. कैलाशचन्द पुत्र रेवन्ताराम
2. गोपालराम पुत्र मोहनाराम
3. जगदीश पुत्र मोहनाराम
4. जिमना पुत्री मोहनाराम
5. टोडाराम पुत्र कुशलाराम
6. धापूदेवी पत्नी रेवन्ताराम
7. रामनिवास पुत्र गोमाराम
8. लीला पुत्री रेवन्ताराम
9. सन्तोष पुत्री मोहनाराम
10. सुमन पुत्री रेवन्ताराम
11. हरिराम पुत्र मोहनाराम
12. हीराराम पुत्र बुधरमल समस्त जाति
जाट निवासीगण नौरंगपुरा तहसील
डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
राज0
13. तहसीलदार डीडवाना
14. तहसीलदार लाडनूं।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनाँक 30.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विकास शर्मा वकील वादी व श्री पंकज शर्मा वकील प्रतिवादीगण की आरे से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद नौरंगपुरा के खेत खसरा सं0 127 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 128 रकबा 2.4400 हैक्टे0, खसरा सं0 240 रकबा 0.2700 हैक्टे0, खसरा सं0 278 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 302 रकबा 0.2800 हैक्टे0, खसरा सं0 315 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 316 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 317 रकबा 0.3500 हैक्टे0, खसरा सं0 340 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 341 रकबा 4.8000 हैक्टे0 व वाकै सरहद खारड़िया के खेत खसरा सं0 51 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 52 रकबा 5.9700 हैक्टे0 व सरहद सांवरद के खेत खसरा सं0 410/135 रकबा 8.0937 हैक्टे0 की भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरी नक्शा मार्क "अ" व नजरी नक्शा मार्क "ब" के अनुसार दावा डिक्री कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र काशतकार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो। नजरी नक्शा मार्क "अ" व "ब" निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wkes
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

मुद्दाई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wes
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड डीडवाना
डीडवाना